

Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 29 दसिंबर, 2023

अंगोला ओपेक से हुआ बाहर

अफ्रीका के दो सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक, अंगोला ने घोषणा की है कि वह उत्पादन कोटा पर विवाद के कारण तेल उत्पादकों के संगठन [पेट्रोलियम नरियातक देशों के संगठन \(OPEC\)](#) से अलग हो रहा है।

- **OPEC तथा 10 सहयोगी देशों** ने अस्थिर वैश्विक कीमतों को बढ़ाने के लिये **2024** में तेल उत्पादन में और अधिक कटौती करने का फैसला किया, जो अंगोला के अनुसार, कीमतों में गिरावट से बचने और **अनुबंधों का सम्मान करने की उसकी नीतिके वरिद्ध** है।
- **OPEC** (मुख्यालय वरिना, ऑस्टेरिया में) एक स्थायी, अंतरसरकारी संगठन है, जिससे **1960** में **बगदाद सम्मेलन** में **ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला** द्वारा बनाया गया था।
- अंगोला 2007 में समूह में शामिल हुआ और कार्टेल छोड़ने वाला पहला देश नहीं है।
- **इक्वाडोर, इंडोनेशिया और कतर** सभी ने ऐसा ही किया है।
- अंगोला के OPEC से अलग होने से उसके पास **12 सदस्य** रह जाएँगे।

और पढ़ें: [छठी भारत-ओपेक ऊर्जा वार्ता](#)

कोपरा MSP में वृद्धि: किसानों और बाजारों को प्रोत्साहन

[आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति \(CCEA\)](#) ने हाल ही में खोपरा/कोपरा के लिये [न्यूनतम समर्थन मूल्य \(MSP\)](#) में उल्लेखनीय वृद्धिकी घोषणा की, जिससे वर्ष 2024 सीज़न के (शस्य ऋतु) **मलिंग खोपरा के लिये ₹11,160 प्रतिक्वटिल** और **बॉल कोपरा के लिये ₹12,000 प्रतिक्वटिल** निर्धारित किया गया।

- इन समायोजनों का लक्ष्य मलिंग कोपरा के लिये 51.84% और बॉल कोपरा के लिये 63.26% का पर्याप्त मारजनि सुनिश्चित करना है, जिससे **केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों** को लाभ होगा।
- **भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी वपिणन महासंघ लिमिटेड (NAFED)** और **राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (NCCF) मूल्य समर्थन योजना (PSS)** के तहत खरीद के लिये केंद्रीय नोडल एजेंसियों (CNA) के रूप में कार्य करेंगे, जिससे खोपरा तथा छलिके वाले नारयिल की खरीद के लिये नरितर समर्थन सुनिश्चित होगा।
- सरकार द्वारा निर्धारित **MSP**, यह सुनिश्चित करता है कि किसानों को उनकी उपज के लिये गारंटीकृत राशि मिले। वर्ष 1965 **सेकृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत** कार्यरत **कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP)**, उत्पादन लागत, बाजार के रुझान एवं मांग-आपूर्तिकी गतिशीलता के आधार पर **MSP** की सफिराशि करता है।

और पढ़ें: [न्यूनतम समर्थन मूल्य](#)

एरडवारक पर जलवायु परविरतन का प्रभाव:

ओरेगॉन स्टेट यूनिवर्सिटी के एक हालिया अध्ययन में [जलवायु परविरतन](#) के प्रभावों के प्रति **उप-सहारा अफ्रीका (सहारा रेगसिस्तान के दक्षिण)** में **एरडवारक (ऑरकिटोरोपस एफर)** की **संवेदनशीलता पर प्रकाश** डाला गया है।

- अध्ययन से एक चिंताजनक प्रवृत्तिका पता चलता है क्योंकि तेज़ी से शुष्क परदृश्य **एरडवारक** को अलग-थलग कर देते हैं, जिससे वे तेज़ी से जलवायु परविरतन के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।
- **शुष्कीकरण** (किसी क्षेत्र के शुष्क होने की एक क्रमिक प्रक्रिया) उनके **वतिरण और संचलन को प्रभावित** करती है, जिससे दीर्घकालिक सूखे की संभावना अधिकाे हो जाती है, विशेष रूप से **डॉरन ऑफ अफ्रीका** में।
- **एरडवारक, अफ्रीका का मूल नविसी रात्रचिर स्तनपायी, ट्यूबुलीडेटाटा वर्ग से संबंधित** है और इस समूह के भीतर एकमात्र जीवित प्रजाति है।
 - एरडवारक अफ्रीका के दक्षिणी दो-तहिसई भाग में मुख्य रूप से सवाना और अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में पाए जाने वाले बलि में रहने वाले स्तनधारी हैं।

- वे पारस्थितिकी तंत्र के लिये आवश्यक हैं क्योंकि वे दीमकों को खाते हैं, जो मानव नस्मिति संरचनाओं को हानि पहुँचा सकते हैं, और उनके बलि कई अन्य प्रजातियों के लिये महत्त्वपूर्ण आवास प्रदान करते हैं।
- [संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN लाल सूची](#): कम चिंताजनक श्रेणी।



और पढ़ें... [वैश्विक जलवायु संकट और नेट जीरो](#)

सरकार ने MLJK-MA को वधिविरुद्ध संगठन घोषित किया

भारत सरकार ने मुस्लिम लीग जम्मू एवं कश्मीर (मसरत आलम गुट) / MLJK-MA को [वधिविरुद्ध क्रियाकलाप \(नविवरण\) अधिनियम \(UAPA\), 1967](#) की धारा 3 (1) के तहत गैरकानूनी संगठन घोषित किया है।

- यह नरिणय राष्ट्र-वरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में इस संगठन की कथित संलग्नता, आतंकवाद के लिये स्पष्ट समर्थन तथा जम्मू-कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित करने के प्रयासों को उकसाने में इसकी भूमिका के आलोक में लिया गया है।
- MLJK-MA जम्मू-कश्मीर में पूर्व आतंकवादी मसरत आलम भट के नेतृत्व में एक अलगाववादी राजनीतिक संगठन है।
- वधिविरुद्ध क्रियाकलाप (नविवरण) अधिनियम (UAPA), 1967 का उद्देश्य उद्देश्य शुरू में अलगाववादी आंदोलनों और राष्ट्र-वरोधी गतिविधियों की रोकथाम करना था, अब तक इसमें कई बार संशोधन किया गया है।
 - सबसे हालिया संशोधन वर्ष 2019 में नवीनतम में किया गया था, जिसके तहत [आतंकवाद का वित्तपोषण](#), साइबर-आतंकवाद, और संपत्ति ज़बती से संबंधित प्रावधान शामिल किये गए थे।
- यह कानून [राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण](#) (NIA) को UAPA के राष्ट्रव्यापी क्षेत्राधिकार के तहत मामलों की जाँच और मुकदमा चलाने का अधिकार प्रदान करता है।
 - **UAPA 1967 की धारा 3(1)** के अनुसार, यदि केंद्र सरकार की राय में **किसी संघ की प्रकृति वधिविरुद्ध** हो गई है, तो वह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से ऐसे संघ को वधिविरुद्ध घोषित कर सकती है।

